बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–8 / आ० 05–42 / 2022..... / जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 2480 दिनांक 25.08.2022 द्वारा श्री भागवत प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थुम्मा, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध श्रीमती निधि कुमारी, पंचायत शिक्षक के पद पर नियोजनोंपरांत उनका योगदान प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं कराये जाने पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने, उक्त से संबंधित जिला अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन नहीं कराये जाने, विभागीय आदेश के विपरीत कार्य करने एवं अपने अधिकारों का दुरूपयोग किये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 807 दिनांक 20.10.2022 द्वारा श्री भागवत प्रसाद सिंह से बचाव अभिकथन की मांग की गई।

श्री भागवत प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थुम्मा, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के पत्रांक 105 दिनांक 15.11.2022 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि वे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थुम्मा के पद पर कार्यरत है, थुम्मा, रून्नीसैदपुर प्रखंड अन्तर्गत एक शैक्षणिक अंचल है, जिसके तहत उन्हे मात्र विद्यालय के निरीक्षण का दायित्व है। श्रीमती निधि कुमारी के नियोजन की सूचना किसी भी स्तर से उन्हें नहीं प्राप्त करायी गई। फलतः प्रधानाध्यापक द्वारा श्रीमती कुमारी को योगदान नहीं कराये जाने के संबंध में उनके स्तर से कोई कार्रवाई किये जाने का मामला नहीं बनता है। जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश की प्रति उन्हें किसी भी स्तर से प्राप्त नहीं करायी गई। निधि कुमारी से संबंधित विभाग द्वारा कोई आदेश / निदेश नहीं दिया गया। जिला अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर को दी गई थी। अतः उक्त आदेश का अनुपालन की जिम्मेदारी नहीं बनती है। श्रीमती कुमारी द्वारा कोई भी अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया था न ही विभाग द्वारा न ही विभाग द्वारा आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में उन्हें कोई आदेश नहीं दिया गया।

तदालोक में निदेशालय के पत्रांक 944 दिनांक 16.12.2022 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी से मंतव्य की मांग की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 375 दिनांक 30.01.2023 द्वारा मंतव्य समर्पित किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि श्रीमती निधि कुमारी के द्वारा बार–बार विद्यालय में योगदान देने हेतु आवेदन देने के बाद भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लेकर योगदान का आदेश नहीं

दिया गया और न ही जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरूद्ध राज्य अपीलीय प्राधिकार में गये। श्रीमती कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर, थुम्मा तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), सीतामढ़ी के वेतन मद से कटौती करते हुए श्रीमती कुमारी को भुगतान का आदेश दिया गया। अतः श्री भागवत प्रसाद सिंह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थुम्मा, सीतामढ़ी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं जिला अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप प्रमाणित है।

निदेशालय के पत्रांक 19 दिनांक 03.01.2025 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी से श्री इन्द्रशेखर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीह, रून्नी सैदपुर, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त एवं श्री भागवत प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थुम्मा, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्ट मंतव्य की मांग की गई कि वस्तुतः किस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा न्यायालय आदेश का अनुपालन किया गया था एवं उस समय कौन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रभार में थे। तदालोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 2929 दिनांक 09.09.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सीतामढ़ी के पत्रांक 3045 दिनांक 08.09.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि संबंधित मामले में किसी प्रकार की सूचना श्री इन्द्रशेखर द्वारा कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गई, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा न तो अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में श्रीमती कुमारी का संबंधित विद्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित कराया गया और ना ही जिला शिक्षा कार्यालय के पत्रांक 2721 दिनांक 28.10.2020 एवं 3103 दिनांक 31.12.2021 द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद पुनर्विलोकन दायर किया गया।

थुम्मा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि उसे किसी स्तर से अनुपालन हेतु आदेश/आदेश की प्रतिलिपि या फिर उच्चाधिकारी का आदेश प्राप्त नहीं था। जबकि अपीलीय प्राधिकार के निर्गत आदेश में रून्नीसैदपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनुपालन कराने हेतु कहा गया है। उक्त आदेश की ही प्रतिलिपि संबंधित पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड थुम्मा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, राजबघाड़ी रून्नीसैदपुर एवं प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय, बेलहिया टोला, बघाड़ी रून्नीसैदपुर को दिया गया। स्पष्ट है कि श्री सिंह को अपीलीय प्राधिकार के पारित आदेश के अनुपालन हेतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर द्वारा सूचना दिया गया। जिसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया। अपने प्रखंडाधीन विद्यालय में पारित आदेश के आलोक में संबंधित शिक्षिका का योगदान कराना इनकी जिम्मेदारी थी। अन्यथा की स्थिति में पुनर्विलोकन दायर करने हेतु उच्चस्तरीय पदाधिकारी से अनुरोध किया जाना चाहिए था। अतएव ये दोषी हैं।

समीक्षोपरांत श्री भागवत प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थुम्मा, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 139 (ख) के तहत 3% (तीन प्रतिशत) पेंशन कटौती का दंड 02 (दो) वर्ष के लिए अधिरोपित किया जाता है।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक–08/आ०–05–42/2022-714 पटना, दिनांक 25.05.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा–17/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), सीतामढ़ी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री भागवत प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थुम्मा, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, पता–ग्राम–नन्दनगर, डाकघर– मधुबनी, थाना–राजनगर, जिला–मधुबनी, पिनकोड–847211/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/05/26.

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)